न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 12/2018

1. लादूराम पुत्र श्री कालूराम, जाति–बारागांव ब्राह्मण, निवासी–फागी, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. बजरंग लाल पुत्र श्री कालूराम, जाति–बारागांव ब्राह्मण, निवासी–फागी, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. सदा देवी पत्नी गणेश नारायण शर्मा, जाति–बारागांव ब्राह्मण, निवासी–फागी, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, फागी जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, फागी दिनांक 9.7.2018 क्रमांक एल. आर./2018/5336 जिसके द्वारा आ0ख0नं0 3796 ग्राम–फागी का सीमाज्ञान करने के आदेश दिये गये हैं और इन आदेशों की पालना में दिनांक 11.07.2018 को सीमाज्ञान कराया गया है।)

उपस्थितः–
1. श्री हनुमान सहाय सिहाग, अभिभाषक, अपीलान्टस् की ओर से।
2. श्री राजाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक : 21.08.2019**

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1–प्रार्थीया सदादेवी पत्नी श्री गणेश नारायण शर्मा निवासी–फागी द्वारा अपने खातेदारी की आराजी खसरा नं0 3796 रकबा 0.5 हे0 वाके ग्राम फागी का सीमाज्ञान कराये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार, फागी ने आज्ञा दिनांक 09.07.2018 द्वारा सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश दिये हैं, इस आज्ञा दिनांक 09.07.2018 की पालना में दिनांक 11.07.2018 को सीमाज्ञान कराया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमान सहाय सिहाग का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। अपीलान्ट्स, रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

Scanned by CamScanner

पडोसी खातेदार काश्तकार है। अधिनस्थ तहसीलदार, फागी द्वारा सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश दिये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को जोकि पडोसी खातेदार काश्तकार है, को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जबकि मौके पर तिल की फसल बोई हुई थी। खसरा नं0 3798 में पक्की दीवार बना रखी है एवं पक्का गैरेज का निर्माण कर रखा है साथ ही अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के खसरा नम्बरों के मध्य कांटेदार बाड लगाकर बाडे बना रखे है। सीमाज्ञान में जो नाप की गई है उसमें किसी भी कोने से कितनी जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया है उसका अंकन रिपोर्ट में नहीं है। मनमाने तरीके से सीमा चिन्ह कायम कर दिये गये जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट् अपीलान्ट् की कब्जेशुदा भूमि पर पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है। समस्त कार्यवाही तहसील में बैठकर बाला–बाला की गई है न तो कोई मौके पर जांच की गई है और न ही मौके पर भौतिक रूप से सीमाज्ञान किया गया है। सीमाज्ञान की आड में रेस्पोडेन्ट् पत्थरगढी कराकर अपीलान्ट् की कब्जेशुदा भूमि को हडपना चाहता है। दिनांक 09.07.2018 को अपीलान्ट्स जब मौके पर पहुंचे तब तक सीमाज्ञान की कार्यवाही पटवारी हल्का व अप्रार्थीगण द्वारा पूर्ण कर मौका रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी। सीमाज्ञान आदेश की नकल लेने हेतु दिनांक 13.7.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 03.08.2018 को केवल मौका रिपोर्ट की नकल दी गई इस पर पुनः दिनांक 13.08.2018 को नकल हेतु आवेदन किये जाने पर आदेश दिनांक 09.07.2018 की नकल दी गई इस प्रकार नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमायी जावे एवं तहसीलदार, फागी की आज्ञा दिनांक 09.07.2018 क्रमांक एल.आर/2018/5336 एवं सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 11.07.2018 निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के विद्वान् अभिभाषक श्री राजाराम चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। सीमाज्ञान हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया है। तहसीलदार द्वारा नियमानुसार पटवारी हल्का/भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट ली गई है, भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.07.2018 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि सीमाज्ञान कराये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है। सीमाज्ञान भू–प्रबन्ध विभाग से प्राप्त की गई शीट से कराया गया है। सीमाज्ञान के आदेश के विरूद्ध कोई अपील संधारण योग्य नहीं है, सीमाज्ञान आज्ञा के विरूद्ध अपील किये जाने का कोई कानून ही नहीं है। दिनांक 09.07.2018 को तहरीर कर जो आदेश दिये गये है उसको चुनौती दी गई है। नीचे की कार्यवाही में पक्षकार ही नहीं तो धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बिना अपील ग्राह्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपने स्वयं की खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान कराया है और पत्थरगढी कराये जाने का रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 का अधिकार है। वरवक्त सीमाज्ञान आराजी पडत थी और अब सीमाज्ञान हो चुका है ऐसे में आज्ञा दिनांक 09.07.2018 को चुनौती दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलान्ट्स का यह कथन कतई गलत है कि सीमाज्ञान की कार्यवाही तहसील में बैठकर बाला–बाला की गई है बल्कि सही तथ्य तो यह है कि मौके पटवारी हल्का

Scanned by CamScanner

गिरदावर हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान कराया गया है मौके पर अपीलान्ट्स उपस्थित थे जिन्होने फर्द मौका पर हस्ताक्षर करने से मना किया है। मना करने की कार्यवाही को पटवारी हल्का ने मौका फर्द रिपोर्ट में दर्ज किया है। इस प्रकार यह कथन बिल्कुल गलत है कि अपीलान्ट्स सीमाज्ञान की कार्यवाही पर मौके पर उपस्थित नहीं थे। मौके पर निशान कायम कर जरीब चला कर सीमाज्ञान कराया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट् सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि सीमाज्ञान की आज्ञा पूर्ण जांच कर दी गई है और नियमानुसार सीमाज्ञान कराया गया है अतः अपील प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपने खातेदारी की आराजी का सीमाज्ञान कराये जाने हेतु नियमानुसार आवेदन किया है इस आवेदन पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को सीमाज्ञान हेतु निर्धारित सम्पूर्ण बिन्दुओं पर जांच रिपोर्ट पेश करने के दिनांक 04.07.2018 को निर्देश दिये गये है। दिनांक 05.07.2018 को पटवारी हल्का/भू–अभिलेख निरीक्षक ने आवश्यक बिन्दुओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपनी रिपोर्ट में सीमाज्ञान के संबंध में कोई विधिक अडचन नहीं होना अंकित किया है। जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर तहसीलदार द्वारा 09.07.2018 को रेस्पोडेन्ट् संख्या 1–प्रार्थीया द्वारा उपलब्ध कराई गई नक्शा शीट से सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में जबकि सीमाज्ञान कराये जाने वाली आराजी के कोई अन्य सह–खातेदार नहीं है और मौके पर किसी प्रकार की फसल आदि होने का तथ्यों का उल्लेख नहीं है तो सीमाज्ञान हेतु दिये गये आदेशों में हम कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है। दिनांक 11.07.2018 को कराये गये सीमाज्ञान की मौका फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का/भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग की मोमिया शीट की सत्यप्रतिलिपि के आधार पर सीमाज्ञान कराया गया है। मौके पर निशान कायम किये जाकर जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया जाना अंकित है व अपीलान्ट्स लादू व बजरंग द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये जाने के तथ्य अंकित है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर
सत्यमेव जयते

(पुरुषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner